इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 366] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2015—भाद्र 13, शक 1937

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्र. एफ 7-19-2014-उन्तीस-1.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्र. 1955 का 10) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उद्योग तथा नागरिक आपूर्ति मंत्रालय (नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग) के एस. ओ. 681 (ई) तथा 682(ई) दोनों दिनांक 30 नवम्बर 1974 और कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (खाद्य विभाग) के जी. एस. आर. 800 दिनांक 9 जून 1978 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में,—

(1) कण्डिका 10 की उपकण्डिका (2) के स्थान पर निम्नानुसार उपकण्डिका (2) प्रतिस्थापित की जाती है.—

"(2) प्रत्येक उचित मूल्य दुकान के लिए एक विक्रेता, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण होगी, नियुक्त किया जाएगा. महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान पर विक्रेता के पद पर नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता दसवीं उत्तीर्ण होगी."

(2) कण्डिका 10 की उपकण्डिका (2) के प्रथम परन्तुक में शब्द "बारहवीं" के स्थान पर शब्द "हायर सेकेण्ड्री" प्रतिस्थापित किया जाता है.

(3) कण्डिका 8 की उपकण्डिका (3) सहपठित प्ररूप 'क' के बिन्दु क्रमांक 8 में शब्द और अभिव्यक्ति "(कृपया स्वामित्व/पट्टा विलेख का प्रमाण दो की प्रतियों में संलग्न करें)" के स्थान पर शब्द और अभिव्यक्ति "(कृपया स्वामित्व/पट्टा विलेख/किरायानामा का प्रमाण दो प्रतियों में संलग्न करें)" तथा प्ररूप 'क' के बिन्दु क्रमांक 10 में शब्द और अभिव्यक्ति "(पूर्व वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न करें)" के स्थान पर शब्द और अभिव्यक्ति "(महिला स्व-सहायता समूह को छोड़कर शेष संस्थाएं पूर्व वर्ष की संपरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करें)" प्रतिस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 2015

क्र. एफ 7-19-2014-उन्तीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-19-2014-उन्तीस-1, दिनांक 4 सितम्बर 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल, उपसचिव.

Bhopal, Dated 4th September 2015

No. F-7-19-2014-XXIX-1.—In exercise of the power conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in pursuance of S. O. 681 (E) and S. O. 682(E) both dated 30th November 1974 of Ministry of Industries and Civil Supplies (Department of Civil Supplies and Cooperation) and GSR 800 dated 9th June 1978 of Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Food), the State Government, hereby, makes the following amendments in Targeted Public Distribution (Control) Order, 2015.

AMENDMENTS

In the said order,-

(i) Sub-clause (2) of clause 10 is substituted with the following sub-clause (2) namely :—

"(2) A salesperson whose minimum academic qualification is Higher Secondary passed, shall be appointed for each Fair Price Shop. For the appointment at the post of salesperson of a fair price shop being operated by Women Self-Help Group, the minimum qualification shall be 10th pass."

(ii) In the first proviso to the sub-clause (2) of clause 10, the words, '12th Pass' is substituted with the words 'Higher Secondary'.

(iii) As per sub-clause (3) of clause 8 read with Item No. 8 of Form 'A' the words and expression "(Please attach proof of Ownership/Leas deed in two coppies)" is substituted with the words and expression "(Please attach proof of Ownership/Leas deed/Rent agreement in two coppies)" and the words and expression mentioned in Item No. 10 of Form 'A' "(please attach audited report of the previous year)" is substituted with words and expression "(Previous year audited report is to be attached by Societies except Women Self-help Group).

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. CHANDEL, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.